न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
17/2022	111, 128 LRA	25.02.2022	27.05.2025

1. मोहम्मद फारूक पुत्र अब्दुल सईद जाति व्यापारी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र बुधमल जाति माली निवासी ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सरोज कंवर पत्नी शम्भु सिंह जाति राजपूत ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र सादुल सिंह जाति राजपूत ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

– अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
1. अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान अप्रार्थी संख्या 02
2 अधिवक्ता श्री पवन सिंह अप्रार्थी संख्या 03
3 पैरोकार राज

<u>प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि खसरा नं. 1030/930 तादादी 0.6103 हैक्टेयर रोही ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.) के हैं। प्रार्थी की स्वयं की एकल खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना–पत्र है।
2. यह कि प्रार्थी की एकल कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है।
3. यह कि प्रार्थी मोहम्मद फारूक ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.01.2022 को सीमा ज्ञान बाबत दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया जिस पर तहसीलदार का [illegible] कर हल्का पटवारी ने दिनांक 07.01.2022 के आदेश के संबंध में [illegible] सीमा ज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उक्त भूमि मौके पर जरीब [illegible] कर उपस्थित खातेदारों को निशान देह बताई गई एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि [illegible] के पर कम है। उक्त ख[illegible] सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ इस उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

4. यह कि उक्त कृषि भूमि की दक्षिण सींव पर प्रार्थी की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।
5. यह कि प्रार्थी की ऊपर पैरा संख्या 04 में वर्णित सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
6. यह कि प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला–भाला कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमाज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नं. 1030/930 तादादी 0.6103 हैक्टेयर रोही ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।
7. यह कि प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमाज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।
8. यह कि सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्राथीग्ण संख्या 04 बनाया गया है।
9. यह कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
10. यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नं. 1030/930 तादादी 0.6103 हैक्टेयर रोही ग्राम थैलासर तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणा[illegible] होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब [illegible] पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई [illegible] के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही

44

की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता सिकन्दर खान ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता पवनसिंह ने वकालतनामा पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता सिकन्दर खान ने जाहिर किया कि वह पत्रावली में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है एवं अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब नहीं दिये जाने पर जवाब बंद किया गया। जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस सनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण रोही ग्राम थैलासर खेत खसरा 1030/930 का खातेदार काश्तकार है। दिनांक 07.01.2022 पटवारी थैलासर रिपोर्ट के अनुसार वादगत कृषि भूमि खेत खसरा 1030/930 रोही ग्राम थैलासर का सीमांकन करवाया गया है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से प्रस्तुत वाद राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थी मोहम्मद फारूक पुत्र अब्दुल सईद द्वारा यह प्रार्थना की गई कि उनकी खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जाए। उनका कथन है कि उनकी कृषि भूमि खसरा संख्या 1030/930 कुल रकबा 0.6103 हैक्टेयर, ग्राम रोही थैलासर, पटवारी हल्का थैलासर, भू.अ.नि. क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिस पर उनका विधिपूर्वक कब्जा व काश्त है। वादकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि के चारों ओर की सीमाओं पर अनेक खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, जो समय–समय पर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा सीमाओं को काटकर खेती करते हैं। जिससे बार–बार झगड़े, तनाव एवं तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। वादकर्ता शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमांकन व पत्थरगढी कराना चाहते हैं। वादकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमांकन में लगने वाला समस्त व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संबंधित खेतों की जमाबंदी प्रतियाँ एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। कुछ अप्रार्थीगण ने अधिवक्ताओं के माध्यम से वकालतनामा प्रस्तुत किया, जबकि कुछ अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थिति अथवा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण को सुनने के बाद यह पाया गया कि सभी संभावित सीमावर्ती खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। सीमावर्ती खेतों के खातेदारों से सीमा विवाद की संभावनाएं प्रकट हुई हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111,128 में यह प्रावधान है कि जब खातेदार के खेत की सीमा विवादित हो या सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन क[illegible]। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार [illegible] होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित [illegible] पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत [illegible] संभावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested

AG/

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 1030/930 रकबा 0.6103 हैक्टेयर रोही थैलासर पटवार मण्डल थैलासर तहसील व जिला चूरू की सीमांकन दिनांक 07.01.2022 के अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार रिपोर्ट पटवारी थैलासर की सीमांकन दिनांक 07.01.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 04 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested